

न्यायालय-अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमरौव

स्वत्व वाद सं० 121/2018

बीरेन्द्र कुमार.....वादी ।

बनाम्
रामाशंकर प्रसाद वगै०..... प्रतिवादीगण ।

आदेश

05.12.22

उभय उभय पक्ष की हाजिरी हैं अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक- 11.02.2021 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 दफा 151 सी० पी० सी० पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच निबंधित बंटवारा दिनांक- 26.07.1976 को हो गया है जो उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत तथ्य है। वादी बंटवारा में मिले अपने कुल एराजी को विक्री कर दिया है, इस तथ्य को प्रतिवादी द्वारा बयान तहरीरी में भी वर्णित किया गया है, परन्तु वादी जान बूझकर खरीदारों को इस वाद का पक्षकार नहीं बनाये हैं। वादी का कोई भी हिस्सा चक खाता सं० 34, प्लाट सं० 50 नहीं बचा है। वादी को यह वाद दाखिल करने हेतु वाद हेतुक भी उत्पन्न नहीं हुआ है। वादी इस वाद में अपने वाद हेतुक का भी वर्णन नहीं किया है। अतः वादी का वाद खारिज करने योग्य है। उक्त बंटवारा में प्रतिवादीगण को चक प्लाट सं० 50 में उत्तर तरफ से प्रतिवादीगण को चक प्लाट 51, 61, 49 दक्षिण तरफ से, चक प्लाट 44, 47 पुरब तरफ से एवं प्लाट 42, 51 पश्चिम तरफ से दिया गया है, जिसमें वादी का कोई शेयर नहीं दिखाया गया है। इस वादपत्र में विवादित जमीन का कोई चौहदी नहीं दर्शाया गया है। वादी द्वारा यह वाद दाखिल करने का कोई उचित कारण भी नहीं है जो वादी के खरीदार हैं उनको भी प्रतिवादीगण से कोई विरोध नहीं है। वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन भी गलत ढंग से कम किया गया है। निबंधित बंटवारा द्वारा वादी जो जमीन हासिल हुआ था उसके चौहदी में यह प्रतिवादीगण नहीं हैं, परन्तु वादी द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि प्रतिवादी के उत्तर में उनका जमीन है। अतः यह वादपत्र विवंधन के सिद्धांत जिसका प्रावधान धारा 115 से 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित है, से भी खारिज करने योग्य है अतः वादी द्वारा दाखिल इस आवेदन को खारिज किया जाये।

वादी द्वारा इस आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक- 01.12.21 को दाखिल किया गया है, जिसमें वादी का कहना है कि प्रतिवादी का आवेदन 11.02.21 खारिज होने योग्य है तथा प्रतिवादीगण का आवेदन कानूनन मेन्टनेबुल नहीं है तथा प्रतिवादीगण आवेदन बबयानात गलत नियत से दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वर्तमान वाद वादी ने विवादित एराजी जमीना नं० 3 के निमित्त अपना हकीयत घोषित के लिए एवं

— कम्प्यूटर —

लगातार

05.12.2022

प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए तथा दखल कब्जा प्राप्त करने के लिए दाखिल किया है तथा विवादित एराजी चक खाता 34, चक प्लॉट 50 में जानिब उत्तर रकबा 1 एकड़ 31, 1/4 डी एराजी रजिस्टर्ड बंटवारा से मुदई को मिला है तथा प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड बंटवारा दिनांक— 26.07.1976 से खाता नं० 34, प्लॉट नं० 50 में जानिब दक्षिण रकबा 2 एकड़ 18, 1/4 डी० एराजी मिला है वो उसी मुताबिक दोनों पक्ष अपनी अपनी एराजी के दखल कब्जा में साथ हकीयत के चले आये तथा उक्त रजिस्टर्ड बंटवारा को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रतिवादीगण ने वाद बंटवारा के मुदई का विवादित प्लॉट 50 में रकबा 19 डी० यानि 6 कट्टा दक्षिण अंश अतिक्रमण कर उत्तर तरफ मार्च 2018 में अपनी एराजी में मिला लिया है जिसके अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वर्तमान मोकदमा दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि दिनांक— 13.01.11 आदेश दिये वो उपरोक्त भूमि की मापी अंचलाधिकारी डुमराँव से कराने के लिए पत्र भेजे जिसके आलोक में अंचल अमीन द्वारा मापी कराया गया तथा मापी कराकर खुटा गाड़ दिया गया इसमें किसी भी पक्ष ने कोई विवाद नहीं किया। इनके विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वर्ष 2013 में प्रतिवादीगण अंचलाधिकारी द्वारा गाड़े गए खुटे को उखाड़ फेंक दिया वो मन मुदई का दक्षिणी हिस्सा लगभग 19 डी० को पुनः अपने कब्जे में कर लिए जिसके लिए पुनः वादी ने डी०सी०एल०आर डुमराँव के यहां भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद सं० 38 सन् 2013—14 दाखिल किये जिसमें 20.11.13 को आदेश पारित कर पुनः मापी करने का आदेश अंचलाधिकारी, डुमराँव को दिये लेकिन अंचलाधिकारी, डुमराँव द्वारा कोई कार्रवाही नहीं की गई तथा न्यायालय द्वारा वैज्ञानिक मापी के पश्चात सुनिश्चित करना है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रतिवादीगण ने बिल्कुल गलत तरीके से सी० पी० सी० के आदेश 7 नियम 11 के तहत गलत आवेदन दिया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि वर्तमान आवेदन बिल्कुल कानून के विरुद्ध है तथा अतिक्रमण से बचने हेतु गलत आवेदन दिया गया है। अतः अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का वर्तमान आवेदन दिनांक— 11.02.21 को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान में यह वाद धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपस्थिति हेतु नियत है। वादी एवं यह वाद विवादित जमीन जिसका वर्णन जमीमा नं० 3 में है, पर अपना तर्क एवं हकीयत निबंधित बंटवारा के आधार पर घोषित करने जो मन मुदई की एराजी जमीमा नं० 1 का अंश है जिसे प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जो कानून विरुद्ध है। वादी का दूसरा

लगातार

05.12.2022

अनुतोष यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा जमीमा नं० 3 पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर वादी को कब्जा दिलाया जाये तथा विवादित जमीन को आगे खरीद विक्री करने से रोक लगाया जाये। वादी द्वारा वादपत्र के कंडिका-10 एवं 13 में वाद हेतुक का वर्णन किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि उभय पक्षों के बीच बंटवारा निबंधित बंटवारा दस्तावेज द्वारा हुआ है, परन्तु यह वाद वादी अपने हिस्से में मिले जमीन के अतिक्रमण हटाने हेतु लाया है जिसे वाद के सम्पूर्ण विचारण के पश्चात ही उचित निर्णय लिया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा यह दावा कि वादी अपने हिस्से की जमीन को पूर्व में ही विक्री कर चुके हैं, इस तथ्य को भी इस वाद के विचारण के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः प्रतिवादी सं० 1 से 3 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक- 11.02.21 को खारिज किया जाता है। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि को धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सुनवाई हेतु उपस्थित रहें।

दिनांक- 23.01.2023 वास्ते धारा 89 पर सुनवाई हेतु।

लेखापित



सब जज द्वितीय, डुमरौव ।